अपिहिमाल गाउँपालिकाको गाउँ सभाको बैठकमा राजस्व समितिका संयोजक श्री देवकी देवी बोहराले प्रस्तुत गर्नु भएको

# राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन


स्थानीय सरकार

अपिहिमाल गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

खण्डेश्वरी, दार्चुला

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल


२०८०

## परिच्छेद-१
## परिचय

### १.१ पृष्ठभूमी

स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान नेपालको संविधानले एकात्मक रूपमा संचालन भइरहेको राज्यव्यवस्थालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यस्थामा परिणत गरेको छ । संविधानको धारा ५६ को उपधारा (१) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ५६ को उपधार (२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरे अनुसार हाल केन्द्रस्तरमा संघ, प्रादेशिकस्तरमा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा स्थानीय सरकारहरू संचालनमा रही राज्यशक्तिको प्रयोग भइरहेको छ । संविधानको धारा ५७ मा तीन वटै सरकारका अधिकार क्षेत्रको विभाजन गरिएको छ, जसअनुसार संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकार, अनुसूची प्रदेश सरकारको अधिकार, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको अधिकार र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको साझा सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५७ को उपधारा (६) मा प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यस्था छ । त्यस्तै सोही धाराको उपधारा (७) मा गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून प्रदेश कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (३) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (४) मा संघ,

प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (५) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानून बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस धाराको उपधारा (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा (२) मा नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा २२८ मा कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस धाराको उपधारा (१) मा कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाईने र उपधारा (२) मा स्थनीय तहले आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाई कर लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस परिच्छेदको दफा ५४ देखि ६३ सम्म विभिन्न प्रकारका करहरू उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद २ मा राजस्व अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो परिच्छेदको दफा ३ मा कर, गैर कर तथा रोयल्टी लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै दफा ४ मा दैर करको दर निर्धारणका आधार, दफा ५ मा एकल कर प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँ कार्यपालिकाले गाउँ सभामा पेश गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्वका नीति, कानून, करका दरहरु, संगठनात्मक संरचना कार्य प्रकृया र तिनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा गाउँ कार्यपालिकालाई सुझाव दिन स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा राजस्व सम्बन्धी परामर्शका लागि

गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक स्थानीय राजस्व परामर्श समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

## १.२ स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको संरचना

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा गाउँपालिकामा राजस्व सम्वन्धी परामर्शका लागि देहाय बमोजिम एक स्थानीय राजस्व परामर्श समिति रहने व्यवस्था अनुसार यस अपिहिमाल गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजक्त्वमा ७ सदस्य सहितको राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ ।

(क) गाउँपालिका उपाध्यक्ष -संयोजक

(ख) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत -सदस्य

(ग) कार्यापालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य मध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना -सदस्य

(ग) निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँपालिका तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि -सदस्य

(घ) घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको गाउँपालिका तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि -सदस्य

(ङ) राजस्व शाखा/इकाई प्रमुख -सदस्य-सचिव

## १.३ स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

(क) राजस्व सम्वन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, संसोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्वन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने ।

(ख) राजस्वको स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने ।

(ग) राजस्व दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने ।

(घ) स्थानीय उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने ।

(ङ) कर राजस्व, गैर कर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर निर्धारण सम्वन्धमा परामर्श दिने ।

(च) राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने ।

**परिच्छेद-२**

## राजस्व विवरण

### २.१ राजस्वको मौजुदा अवस्थाको विश्लेषण

राजस्व संकलन-राजस्व संकलनमा मुख्यतया कर राजस्व र गैर कर राजस्व पर्दछन । कर संकलन गर्दा स्थानीय तहले सबै प्रकारको कर लिन सक्दैन, नेपालको संविधानको धारा ५९, ६० तथा अनुसूची-८ मा उल्लेखित एकल अधिकारको विषयमा, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ र अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद २ बमोजिम स्थानीय तहले नियमानुसार कर संकलन गर्न सक्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी हेर्दा स्थानीय तहले संकलन गर्ने करको योगदान कूल बजेटको तुलनामा सानो देखिन्छ करको आधार विन्दु स्थानीय तह भएकाले कर संकलनमा उपलव्धी भन्दा पनि नजिकको सरकारले करको विषयमा सू-सूचित गर्ने र आम नागरिकहरुलाई कर तिर्ने बानी बसाल्नुनै अहिलेको उपलव्धीको रुपमा हुने देखिन्छ।

### २.२ चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको अवस्था

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा यस आर्थिक वर्ष २०७९/०८० श्रावण देखि पौष ११ गते सम्म कुल राजस्व संकलनमा कमी देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को श्रावण देखि पौष महिना सम्म प्रथम ६ महिनामा रु. ४ लाख ८६ हजार ५ सय ३२ रुपैया मात्र राजस्व तथा आम्दानी भएकोमा यस आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सोहि अवधिमा राजस्व असुलिमा घटी भई रु.२ लाख ५० हजार ५ सय ११ रुपैयाँ मात्र हुन पुगेको देखिन्छ । यो आधार लाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा यहि गतिमा राजस्व संकलनको अवस्था रहे गत आर्थिक वर्ष भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व तथा आम्दानीको लक्ष्य प्राप्त नहुने र आम्दानी वृद्धि  समेत नहुने अवस्था देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को श्रावण महिना देखि मंसिर महिना सम्मको राजस्व संकलन तथा आन्तरिक आयको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

### २.३ चालु आर्थिक वर्षको श्रावण देखि मंसिर मसान्त सम्मको आम्दानीको विवरण

| राजस्व शिर्षकहरुः | गाउँपालिका | वडा नं.१ | वडा नं.२ | वडा नं.३ | वडा नं.४ | वडा नं. ५ | वडा नं. ६ | जम्माः |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मालपोत (भुमीकर) | ० | ४०० | ० | ० | ३५२ | ० | ० | ७५२ |
| घर बहाल कर<br>प्रशासनिक सेवा शुल्क(न्यायिक,परिक्षा ,ठेक्का) | १३९३०९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १३९३०९ |
| सिफारिस दस्तुर | ० | ० | ० | ० | ८१५० | ० | ० | ८१५० |
| घटना दर्ता | ० | ० | ० | ० | २८०० | ६०० | ० | ३४०० |
| नाता प्रमाणित | ० | ० | ० | ० | ३३०० | ० | ० | ३३०० |
| व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर | १००० | ० | ० | ० | ० | १००० | ० | २००० |
| रेडियो एफ.एम.सञ्चाल | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| दण्ड जरिवाना वापत | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| धरौटी सदर | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| व्यवसाय कर | ० | ० | ० | ० | २७३०० | १४०० | ० | २८७०० |
| अन्य दस्तुर (दर्ता इजाजतपत्र) | ५८२५० | ० | ० | ० | १९५० | ० | ० | ६०२०० |
| अन्य कर | ० | ० | ० | ० | ४५०० | २०० | ० | ४७०० |

## २.४ राजस्व नीतिहरु

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन नीतिका उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन्।

(क) कर सचेतना कार्यक्रम मार्फत सबै नागरिकमा कर तिर्ने प्रवृत्तिको बिकास गर्ने ।

(ख) वडा कार्यालय र गाउँ कार्यपालिका कार्यालयबिच परस्पर सहयोग सहकार्य र समन्वयको बातावरण निर्माण गरि सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई करको दायरामा समेटी अधिकतम राजस्व राजस्व परिचालनमा जोड दिने ।

(ग) राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि उत्प्रेरणात्मक र दण्डात्मक नीति अंगिकार गरी कर संकलन तथा परिचालनमा प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने ।

(घ) आन्तरिक राजस्व परिचालनमा दिगो वृद्धि दर हासिल गरि स्थानीय वित्त प्रणालिलाई सुदृढ तुल्याउने गरी राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने ।

(ङ) स्वच्छ एवं पारदर्शी कर प्रणाली अवलम्वन गर्दै राजस्व प्रणालीलाई समन्यायिक एंव लगानीमैत्री बनाउने ।

(च) आन्तरिक राजस्वका थप स्रोतहरु पहिचान गर्ने ।

(छ) कृषि लगायत अन्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने ।

(ज) स्थानीय कर प्रणाली बारे आम पेशा व्यवसाय र सर्वधारण नागरिकहरु लाई सु-सूचित गराउने ।

(झ) सार्वजनिक सेवा र राजस्व विचमा तादम्यता कायम गर्दै कर नतिर्ने व्यक्ति वा नागरिक लाई कर नतिरे सम्म सार्वजनिक सेवा बाट बञ्चित गराउने नितिको अवलम्वन गर्ने ।

(ञ) कर को दर भन्दा दायरा विस्तार लाई प्राथमिकता दिई कराधारलाई थप फराकिलो बनाउँदै लैजाने ।

(ट) राजस्व संकलनका लागि आवश्यक जनशक्ती परिचालन गरी कर दातालाई सहज रुपमा कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्ने ।

(ठ) कर प्रणालिमा प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि प्रशासनिक,कानुनि तथा प्राविधिक विषयहरुमा एकरुपता र स्पस्ट हुने गरी सुधारको बाटो अपनाउने।

(ड) कर दाताले तिरेको करको जानकारी दिने गरी एकिकृत कार्ड बनाई निजलाई उपलव्ध गराईने व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने र सोही कार्डको आधारमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाउने।

(ढ) चोरी निकासी/पैठारी र अवैध व्यापार रोकथामका लागि विशेष रणनिति अपनाउने ।

(ण) करदाता तथा आमनागरिकका लागि सूचना मुलक एवं सचेतना अभिवृद्धि सम्वन्धी करदाता शिक्षा कार्यक्रमहरु लाई निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्ने ।

(त) कर शिक्षा, सूचना र सचेतना सम्वन्धी कार्यहरु आवश्यक्ता अनुसार निजी, गैर सरकारी, उपभोक्ता हितकारी एवं पेशागत संघ संस्थाहरु समेतको सहभागीता र समन्वयमा सञ्चालन गर्ने ।

(थ) कर संकलन तथा प्रतिवेदन प्रणालि लाई सूचना प्रविधी व्यवस्थापन प्रणालीमा आवद्ध गरि व्यवस्थित गर्ने ।

(द) सवै पेशा व्यवसाय लाई कर को दायरा भित्र ल्याउने ।

## २.५ करका आधारहरु

नेपालको संविधान, अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार, राजस्व सम्बन्धी अधिकार, कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन भए अनुसार करका आधारहरु देहायबमोजिम रहेका छन् ।

**(क) कर**

(१) सम्पत्ति कर,

(२) घर जग्गा बहाल कर,

(३) घरजग्गा रिजिष्ट्रेशन शुल्क,

(४) सवारी साधन कर,

(५) भूमिकर (मालपोत),

(६) मनोरञ्जन कर,

(७) जडिबुटी, कवाडि र जीवजन्तु कर,

(८) व्यवसाय कर,

(९) विज्ञापन कर ।

**(ख) गैर कर**

(१) सेवा शुल्क दस्तुर,

(२) पर्यटन शुल्क,

(३) दण्ड जरिवाना ।

## २.६ आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित कर तथा गैर कर राजस्व दर

<table>
<tr><th colspan="2">राजस्वका क्षेत्रहरुः</th><th>चालु आर्थिक वर्षको दरः</th><th colspan="2">प्रस्तावित दरः</th><th>पुष्ट्याई</th><th>कै.</th></tr>
<tr><td colspan="7">अनुसूची-१<br>भूमि कर</td></tr>
<tr><th>सि.नं.</th><th>विवरण</th><th>विस्तृत विवरण</th><th>चालु आ.व.को दर रु.</th><th>प्रस्तावित दर रु.</th><th>पुष्ट्याई</th><th></th></tr>
<tr><td>१</td><td rowspan="4">मालपोत कर</td><td>अब्वल</td><td rowspan="4">न्युनतम १० रोपनी सम्म रु.७० थप प्रति रुपोनी रु.८</td><td rowspan="4">पुरानै कायम</td><td rowspan="4">उत्पादन कमी</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>२</td><td>दोयम</td></tr>
<tr><td>३</td><td>सीम</td></tr>
<tr><td>४</td><td>चाहार</td></tr>
<tr><td colspan="7">बाजो जमिन राख्ने किसान लाई प्रति रोपनी हाल तिरेको रकमको दोव्वर तिर्नु पर्नेछ ।</td></tr>
<tr><td colspan="7">एकिकृत कर लगाउने सम्वन्धमा आवश्यक अध्ययन गरि निर्धारण गरिने छ ।</td></tr>
<tr><td colspan="7">अनुसूची-२</td></tr>
</table>

| सि.नं. | विवरण | विस्तृत विवरण | चालु आ.व.को दर रु. | प्रस्तावित दर रु. | पुष्ट्याई | कै. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ढलान भएको पक्की घर | १ तले/ २ तले /३ तले | १००/१५०/२०० | ११०/१६५/२२० | नियमित राजस्व वढाउने | |
| २ | सिलेटले छाएको | १ तले/ २ तले /३ तले | ५०/७५/१०० | पुरानै कायम | | |
| ३ | खर वा जस्ता पाताले छाएको | १ तले/ २ तले/३ तले | ५०/७५/१०० | | | |
| ४ | खरले छाएको | १ तले/ २ तले/३ तले | २५/५०/७५ | | | |
| ५ | आधा ढलान आधा ढलान नभएको | १ तले/ २ तले/३ तले | ७५/१००/१२५ | ८२/११०/१३७ | | |

**अनुसूची-३**

**बहालकर**

| सि.नं. | विवरण | विस्तृत विवरण | चालु आ.व.को दर रु. | प्रस्तावित | पुष्ट्याई | कै. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | बहाल कर | कोठा वा घर | १० प्रतिशत | | पुरानै कायम | |

अनुसूची-४

व्यवसाय कर

| सि.नं. | विवरण | विस्तृत विवरण | चालु आ.व.को दर रु. | प्रस्तावित | पुष्ट्याई | कै. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ज्वलरी सुन चाँदी पसल | थोक/खुद्रा विक्रेता | ८००० | ८८०० | | |
| २ | भिडियो क्यामेरा फोटा पसल | | २००० | २२०० | | |
| ३ | इलेक्ट्रोनिक समानको पसल /घडी/रेडीयो/टि.भि.मोवाईल मर्मत | | २००० | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४ | भाडा पसल | | १००० | ११०० | | |
| ५ | वित्तीय बैकं नेपाल सरकारको स्वामित्व वाहेक | | १०००० | ११००० | | |
| ६ | बहुउद्धेश्यी सहकारी संस्था | | ५००० | ५५०० | | |
| ७ | कृषि सहकारी संस्था | | १००० | ११०० | | |
| ८ | औषधी पसल | | ३००० | ३३०० | | |
| ९ | दाँत बनाउने पसल | | ३००० | ३३०० | | |
| १० | गै.स.स. | | १००० | ११०० | | |
| ११ | अन्तराष्ट्रिय गै.स.स | | ३००० | ३३०० | | |
| १२ | (घ) वर्ग इजाजत पत्र दस्तुर | | १५००० | | | |
| १३ | (घ) वर्ग इजाजत पत्र नविकरण | | ५००० | | | |
| १४ | मासु पसल | | १५०० | **पुरानै कायम** | | |
| १५ | डेरी पसल | | ५०० | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १६ | कपडा पसल | | १५०० | १६५० | | |
| १७ | सूचीकार /टेलर्स | | १००० | ११०० | | |
| १८ | राइस मिल/कुटानी पिसानी | | १००० | **पुरानै कायम** | | |
| १९ | अन्य सवैं प्रकारका किरानापसल समेत | | २००० | २२०० | | |
| २० | संघ संस्था तथा क्लव दर्ता | | १००० | **पुरानै कायम** | | |
| २१ | घट्ट | सार्वजनिक | १५० | **पुरानै कायम** | | |
| | | निजि | २०० | २२० | | |
| २२ | काष्ठ तथा फर्निचर उद्योग | | ५००० | **पुरानै कायम** | | |
| २३ | पोल्टीफर्म | | २५०० | २७५० | | |
| २४ | कृषि फर्म | | १००० | **पुरानै कायम** | | |
| २५ | रिण तथा वचत सहकारी संस्था | | ३००० | ३३०० | | |
| २६ | मदिरा होलसेल | | २०००० | २५००० | | |
| २७ | होटेल | | २००० | २२०० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २८ | खुद्रा मदिरा पसल | | ५००० | ६००० | | |
| २९ | सुर्ति जन्य पदार्थ व्यवसायिक शुल्क | | २५०० | **पुरानै कायम** | | |
| ३० | आमा समुह दर्ता | | ५०० | **पुरानै कायम** | | |
| ३१ | आमा समुह नविकरण | | १०० | **पुरानै कायम** | | |
| ३२ | संघ संस्था तथा युवा क्लव नविकरण | | ५०० | **पुरानै कायम** | | |
| ३३ | श्रम सहकारी संस्था | | ५०० | **पुरानै कायम** | | |
| ३४ | इन्सच्यूट ट्युसन सेन्टर | | ५००० | **पुरानै कायम** | | |
| ३५ | सिलेण्डर ग्यास विक्रि केन्द्र | | १००० | **पुरानै कायम** | | |

**नोटः एकल महिला र अपाङ्गको हकमा फर्मदर्ता तथा नविकरणमा ५० प्रतिशत छुट गरिने छ ।**

**अनुसूची-५**

**<u>जडिबुडी कर व्यवसायिक प्रयोजन</u>**

| सि.नं. | विवरण | विस्तृत विवरण | चालु आ.व.को दर रु. | प्रस्तावित दर रु. | पुष्ट्याई | कै. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | जडिबुडी संकलन तथा सिफारिस दस्तुर | व्यवसायिक प्रयोजन | **१००** | **पुरानै कायम** | | |
| | | | **जीव जन्तुकर व्यवसायिक प्रयोजन** | | | |
| १ | प्रति भैसी/रागाँ | आयात/निर्यात | **२५०** | **पुरानै कायम** | | |
| २ | प्रति खसी/ बाखा | | ४० | | | |
| ३ | प्रति घोडा/खच्चर | | **२५०** | | | |
| | | | **कवाडी कर** | | | |
| १ | प्रति क्विन्टल | | २० | **पुरानै कायम** | | |
| २ | कवाडी (टेण्डर कोटेशन मार्फत) | | **२ प्रतिशत** | | | |
| | | | **विज्ञापन कर** | | | |
| १ | प्रतिहोर्डिङ बोर्ड प्रति वर्ग फिट | | **५०** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २ | रङ्गिन विज्ञापन फ्लेक्स प्रति वर्ग फिट | | **२५** | **पुरानै कायम** | | |
| ३ | अन्य पोष्टर पम्पलेट प्रति वर्ग मिटर | | **१०** | | | |

**अनुसूची -६**

**<u>मनोरन्जन कर</u>**

| **सि.नं.** | **विवरण** | **विस्तृत विवरण** | **चालु आ.व.को दर रु.** | **प्रस्तावित दर रु.** | **पुष्ट्याई** | **कै.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | प्रति सांगितिक महोत्सव | | **१५००** | **पुरानै कायम** | | |
| २ | प्रति खेलकुद कार्ययक्रम | | **२०००** | | | |

**अनुसूची-७**

**<u>बहाल विरौटी कर</u>**

| **सि.नं.** | **विवरण** | **विस्तृत विवरण** | **चालु आ.व.को दर रु.** | **प्रस्तावित दर रु.** | **पुस्टयाई** | **कै.** |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | हाट बजारमा आएको प्रति पसल | | १००० | **पुरानै कायम** | | |
| २ | फेरीमा समान वच्ने प्रति व्यक्ति(घुमन्ते समान वेच्ने) | | १००० | **पुरानै कायम** | | |
| **अनुसूची-८**<br>**<u>सेवा शुल्क दस्तुर तथा सिफारिस सम्वन्धी</u>** | | | | | | |
| **सि.नं.** | **विवरण** | **विस्तृत विवरण** | **चालु आ.व.को दर रु.** | **प्रस्तावित दर रु.** | **पुस्ट्याई** | **कै.** |
| १ | घर जग्गा नामसारी सिफारिस | | १५० | १६५ | | |
| २ | घर कायम सिफारिस | | १०० | ११० | | |
| ३ | छात्रवृति सिफारिस | | ० | | | |
| ४ | विपन्न विद्यार्थि छात्रवृति सिफारिस | | ० | | | |
| ५ | अपाङ्ग सिफारिस | | ० | | | |
| ६ | अस्थायी बसोवास सिफारिस | | १०० | ११० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ७ | स्थायी बसोवास सिफारिस | | १५० | १६५ | | |
| ८ | नागरिकता सिफारिस | | १०० | **पुरानै कायम** | | |
| ९ | नागरिकता र प्रतिलिपि सिफारिस | | १५० | **पुरानै कायम** | | |
| १० | अंगिकृत नागरिकता सिफारिस | | ५०० | **पुरानै कायम** | | |
| ११ | आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित | | ० | | | |
| १२ | आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित | | २५०० | ३००० | | |
| १३ | विद्युत जडान सिफारिस | | १०० | **पुरानै कायम** | | |
| १४ | धारा जडान सिफारिस | | ५० | **पुरानै कायम** | | |
| १५ | जिवित रहेको सिफारिस | | १०० | **पुरानै कायम** | | |
| १६ | दुवै नाम गरेको व्यक्ति एउटै हो भन्ने सिफारिस/फरक जन्ममिति संशोधन सिफारिस | | १०० | **पुरानै कायम** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १७ | जग्गा मुल्यांकंन सिफारिस र प्रमाणित | | ५०० | **१० प्रतिशत** | | |
| १८ | व्यवसाय बन्द सिफारिस | | १०० | **पुरानै कायम** | | |
| १९ | व्यवसाय सञ्चालन नभएको सिफारिस | | १०० | **पुरानै कायम** | | |
| २० | व्यापार व्यवसाय नभएको सिफारिस | | १०० | **पुरानै कायम** | | |
| २१ | कोट फि मिनाह सिफारिस | | ५० | १०० | | |
| २२ | नावालक परिचयपत्र सिफारिस | | १०० | ११० | | |
| २३ | चौपाया सम्वन्धी सिफारिस | | १०० | ११० | | |
| २४ | व्यवसाय दर्ता वा सिफारिस | | १००० | ११०० | | |
| २५ | उद्योग ठाउँ सारी सिफारिस | | ५०० | **पुरानै कायम** | | |
| २६ | विद्यालय ठाउँ सारी सिफारिस | | ५०० | **पुरानै कायम** | | |
| २७ | आन्तरिक बसाईसराई सिफारिस | | १०० | ११० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २८ | व्यक्तिगत विवरण सिफारिस | | १०० | ११० | | |
| २९ | जग्गादर्ता सिफारिस | | १०० | ११० | | |
| ३० | संरक्षक सिफारिस (व्यक्तिगत) | | १०० | ११० | | |
| ३१ | संरक्षक सिफारिस (संस्थागत) | | ५०० | ५५० | | |
| ३२ | नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिस | | १०० | ११० | | |
| ३३ | जिवित संगको नाता प्रमाणित | | १०० | ११० | | |
| ३४ | मृत्यक संगको नाता प्रमाणित १ | | १०० | ११० | | |
| ३५ | कोठा खोल्ने कार्य/रहोवरमा बस्ने कार्य | | १०० | ११० | | |
| ३६ | निशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस | | ० | | | |
| ३७ | अन्य कार्यालयको माग अनुसार विवरण खुलाई पठाउने कार्य | | १०० | ११० | | |
| ३८ | संस्था दर्ता सिफारिस | | ५०० | **पुरानै कायम** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३९ | घर बाटो प्रमाणित | | १०० | ११० | | |
| ४० | चारलकिल्ला प्रमाणित | | २०० | २२० | | |
| ४१ | जन्ममिति प्रमाणित | | १०० | ११० | | |
| ४२ | विवाह प्रमाणित | | १०० | ११० | | |
| ४३ | कागज मन्जुरीनामा प्रमाणित | | १०० | ११० | | |
| ४४ | हकवाला वा हकदार प्रमाणित | | १०० | ११० | | |
| ४५ | अविवाहित प्रमाणित | | १०० | **पुरानै कायम** | | |
| ४६ | जग्गा रेखाकंनको कार्य वा सो कार्यको रहोवर | | १०० | ११० | | |
| ४७ | जग्गाधनीपुर्जा हराएको सिफारिस | | १०० | ११० | | |
| ४८ | पुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस | | १५० | १६५ | | |
| ४९ | अंग्रेजी सिफारिस तथा प्रमाणित | | ५०० | ५५० | | |
| ५० | न्यायिक सिमिति उजुरी दर्ता | | २०० | २२० | | |
| ५१ | जन्मदर्ता | | १०० | २०० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ५२ | मृत्यु दर्ता | | १०० | २०० | | |
| ५३ | वसाईसराइ आउने/जाने दर्ता | | १०० | २०० | | |
| ५४ | पक्की घरको सर्जिमिन वापत | | १०० | ११० | | |
| ५५ | अन्य सवै प्रयोजनको सर्जिमिन वापत | | १०० | ११० | | |
| ५६ | अचल सम्पत्ति मुल्यांकन | | २५०० | ३००० | | |
| ५७ | रकम कलम उठाई असुल गरिदिए वापत | | १०० | ११० | | |
| ५८ | सम्वन्ध विच्छेद्ध दर्ता | | ५०० | **पुरानै कायम** | | |
| ५९ | विवाह दर्ता | | १०० | २०० | | |
| ६० | व्यवसाय नविकरण | | ५०० | ५५० | | |
| ६१ | उल्लेखित वाहेक अन्य | | १०० | ११० | | |
| ६२ | सिफारिस संस्थागत | | १०० | ११० | | |
| ६३ | सिफारिस व्यक्तिगत | | १०० | ११० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ६४ | प्रमाणित व्यक्तिगत | | १०० | ११० | | |
| ६५ | प्रमाणित संस्थागत | | १०० | ११० | | |
| ६६ | संशोधन | | १०० | ११० | | |
| ६७ | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपी | | २०० | ५०० | | |
| ६८ | आन्तरिक योजना सम्पन्न सिफारिस | | २०० | **५ लाख देखि १०लाख सम्म- ५००**<br>**१० लाख भन्दा ठुला-१०००** | | |
| ६९ | वाह्य योजना सम्पन्न सिफारिस | | ५०० | **१० लाख भन्दा साना योजना- २५००**<br>**१० लाख भन्दखा ठुला योजना- ५०००** | | |
| ७० | सन्दियार खुलाउने | | २०० | २२० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ७१ | सैलुन पसल संचालन | | **५००** | **पुरानै कायम** | | |
| ७२ | व्युटिपार्लर पसल सञ्चालन | | **५००** | **पुरानै कायम** | | |
| ७३ | विज्ञापन कर | | **१००००** | **पुरानै कायम** | | |

**अनुसूची-९**

| सि.नं. | विवरण | विस्तृत विवरण | चालु आ.व.को दर रु. | प्रस्तावित दर रु. | पुष्ट्याई | कै. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | घनमिटरमा उल्लेख भएका ठुला आयोजनाहरु प्रति घनमिटर बालुवा | निर्माण कार्य | **५००** | **पुरानै कायम** | | |
| २ | साना आयोजना प्रति कट्टा बालुवा | | **१०** | **पुरानै कायम** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ | घनमिटरमा उल्लेख भएका ठुला आयोजनाहरु प्रति घनमिटर गिट्टी | | ४५० | **पुरानै कायम** | | |
| ४ | साना आयोजना प्रतिकट्टा गिट्टी | | १० | **पुरानै कायम** | | |
| अपिहिमाल गाउँपालि भित्रका गिट्टी बालुवा ढुङ्गाको कर निर्धारण गर्न गाउँ कार्यपालिकाले कार्यविधि निर्माण गरि बोलपत्र आह्वान मार्फत गरिनेछ । | | | | | | |

## २.७ आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित कर तथा गैर कर राजस्व रकम

| सि.नं. | राजस्वका क्षेत्रहरु | गत आ.व.को यथार्थ रकम | चालु आ.व.को संशोधित अनुमान | आगामी आ.व.को अनुमान | कै. |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मालपोत (भुमिकर) | २५०४३५ | ३५०००० | ३५०००० | |
| २ | घर बहाल कर | २१५७५७ | २००००० | २००००० | |
| ३ | प्रशासनीक सेवा शुल्क (न्यायिक, परिक्षा ,ठेक्का) | ७०१२०० | ५५०००० | ६०५००० | |
| ४ | सिफारिस | १०४७५० | १४५००० | १५९५०० | |
| ५ | घटना दर्ता | ४०१०० | १००००० | ११०००० | |
| ६ | नाता प्रमाणित | १५१९० | ५०००० | ५०००० | |
| ७ | अन्य दस्तुर (दर्ता ,इजाजपत्र) | १३७६४० | २००००० | २२०००० | |
| ८ | व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तुर | १३९२०० | ५०००० | ५५००० | |
| ९ | रेडियो एफ.एम सञ्चालन | ० | ० | ० | |
| १० | दण्ड जरिवाना वापत | ० | ४५००० | ४५००० | |
| ११ | धरौटी सदर | ० | १०००० | १०००० | |
| १२ | व्यवसाय कर | ३७१०० | ६००००० | ६६०००० | |
| १३ | अन्य कर | ३६९८४५ | २००००० | २२०००० | |
| **जम्माः** | | **२०,११,२१७** | **२५,००,०००** | **२६,८४,५००** | |

## परिच्छेद-३

## निष्कर्ष तथा सुझाव

### ३.१ सुधारका लागि केही सुझावहरु

(१) आवश्यक जनशक्ति तथा भौतिक सुविधा सहितको राजस्व इकाईको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

(२) सम्पत्तिकर वा वैज्ञानिक ढङ्गले लागू गर्ने ।

(३) तथ्याकं संकलन र अद्यावधिक गर्ने ।

(४) राजस्व परिचालनको लागि आवश्यक जनशक्ति तथा भौतिक सुविधा सहित वर्तमान राजस्व शाखा लाई थप सुदृढीकरण गर्ने ।

(५) राजस्व सम्वन्धी सम्पूर्ण तथ्याकं संकलन र अद्यावधिकरण गर्ने र स्वचालित बनाउने।

(६) घरवहाल करको प्रगतीशिल दर निर्धारण गर्ने साथै वहाल विरौटी करका क्षेत्रहरुको ठेक्का निर्धारण गर्ने ।

(७) करदाताहरु लाई अभिमुखिकरण गर्ने तथा कर दाताहरुलाई नियमित रुपमा पत्र वा विद्युतीय सूचना पठाउने ।

(८) लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी पेश्की नियन्त्रण, वैज्ञानिक लेखा प्रणालीको व्यवस्थापन र स्थिर सम्पत्तिहरुको संरक्षण र परिचालन गर्ने ।

(९) राजस्व प्रणालीलाई अनुमान योग्य बनाउन आवश्यक प्रकृया अगाडि वढाउने ।

(१०) गाउँपालिकामा दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने ।

(११) गाउँपालिकाको आय वृद्धिको लागि वजार क्षेत्र भित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा तथा मठमन्दिरसँग रहेको सार्वजनिक जग्गाहरुलाई व्यवस्थित गरी व्यवसायिक रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(१२) गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको उपयुक्त स्थानमा सटर निर्माण गरी भाडामा लिन सकिने ।

(१३) गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका निजी विद्यालयहरुको तथ्याकं अद्यावधिक गर्ने ।

(१४) विलिङ प्रणाली (Billing System) को विकास (जस्तै SMS/Mobile System) गर्ने।

(१५) राजस्वलाई गाउँपालिकाको सेवा प्रणालिमा आवद्ध गर्ने र करदाता तथा सेवाग्राही सचेतना कार्यक्रमहरु सचेतना गर्ने ।

(१६) गाउँपालिकाको राजस्व प्रशासन सम्वन्धी कार्य क्रमश वडा तहमा विकेन्द्रिकरण गर्दै लैजाने ।

(१७) निजी क्षेत्र र विभिन्न दातृनिकायहरुबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम र लगानीलाई गाउँपालिकाको वहुवर्षीय तथा वार्षिक कार्यक्रमसंग आवद्ध गरी स्रोत परिचालन गर्ने।

(१७) गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका सम्भाव्य आयोजनाहरुको निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वढाउदै लैजाने ।

(१८) प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै गाउँपालिकाको कर प्रणाली र खर्च प्रणालीलाई क्रमश कम्प्युटर सफ्ट्वयर प्रणालिमा लैजाने ।

## ३.२ <u>राजस्व अभिवृद्धिका लागि वडागत रुपमा सूझावहरु</u>

(१) व्यवसायिक तरकारी, फलफुल, पशुपंछि तथा दुध संकलन केन्द्रको स्थापना गर्न सकिने।

(२) पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्रको पहिचान गरी पिकनिक स्थल तथा पार्क निर्माण गर्ने ।

(३) वडा वासीलाई करको बारेमा जानकारी दिने र नतिर्नेलाई दण्ड तथा जरिवानाको नीति कार्यान्वयन गर्ने ।

(४) आवास क्षेत्र तथा व्यापारिक क्षेत्रको श्रेणी विभाजन गरी घर वहाल कर उठाउन सकिने ।

(५) व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याई कर तिर्न लगाउने नतिर्ने लाई दण्ड तथा जरिवाना लगाउने ।

(६) कर तथा राजस्व सम्वन्धी जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गर्ने ।

(७) निजी विद्यालयहरु लाई कर उठाउने कार्यको कार्यान्वयन गर्ने ।

(८) गाउँपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दा अनिवार्य रुपमा व्यवसाय दर्ता गराएर मात्र गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने र व्यवसाय दर्ता भए नभएको अनुगमन गर्ने ।

(९) कर दरमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै दायरा फराकिला पार्ने ।

(१०) बढी तथा समयमा कर तिर्ने करदातालाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने ।

(११) राजस्व शाखाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपायोग गर्ने।

(१३) करदाताको व्यवस्थित अभिलेख गर्ने र त्यस लाई स्वचालित बनाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षणमा जोड दिने ।

## ३.३ निष्कर्ष

नेपालको संविधानको अनुसूची ८, अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा नेपाल सरकार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उल्लेख भए बमोजिम अनुसार व्यक्तिको अचल सम्पत्तिमा लाग्ने मालपोत, घर जग्गा कर, सम्पत्तिकर, बहालबाट हुने आम्दानी कर, व्यवसाय कर तथा स्थानीय पूर्वाधार सेवा उपयोग र सिफिरिस लगायतमा दस्तुरबाट स्थानीय तहले एकल रुपमा आम्दानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । भने मनोरञ्जन कर विज्ञापन कर र सवारी साधन कर लगायतका करहरु प्रदेश सरकारसँग साझा रुपमा आम्दानी संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा अपिहिमाल गाउँपालिकाले संकलन गरेको कर तथा राजस्वको आम्दानीलाई सकारात्मक दिशाउन्मुख देखिन्छ । साविक स्थानीय निकायको रुपमा साविकका सितोला, गुल्जर, घुसा र खण्डेश्वरी गा.वि.स. को आम्दानीको तुलनामा हालको राजस्व तथा आम्दानीको विवरण तुलना गर्दा कर तथा राजस्व संकलन र सदुपयोगमा निकै सुधार आएको मान्न सकिन्छ ।यद्यपी अझै पनि सबै व्यक्ति, व्यवसायीहरु करको दायरामा आइसकेको देखिदैन आगामी दिनमा कर प्रणाली र आम्दानीलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाको तर्फवाट केही सुधारोन्मुख कदमहरु चालेको खण्डमा गाउँपालिकाको आन्तरिक आयमा बढोत्तरी हुनुका साथै देशकै कर प्रशासनमा टेवा पुग्ने निष्कर्ष समितिको रहेको छ ।

**प्रतिवेदक**
देवकी देवी बोहरा
गाउँपालिका उपाध्यक्ष